प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

18 दिसंबर 2025

'दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना'/'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना' पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत

'दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना'/'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना' पर निष्पादन लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) का प्रतिवेदन (2025 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 17) आज संसद में प्रस्तुत की गई ।

<u>योजनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी:</u>

(i) गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की अवधि बढ़ाने तथा कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों को अलग करके कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, (ii) ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क को मजबूत करने, तथा (iii) पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के चल रहे कार्य को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने दिसंबर 2014 में 'दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की। डीडीयूजीजेवाई/आरजीजीवीवाई के अंतर्गत परियोजनाओं को डिस्कॉम्स द्वारा अवार्ड करने की तारीख से 24[1]/30[2] महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना था। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने डीडीयूजीजेवाई/आरजीजीवीवाई के लिए ₹63,027 करोड़ के बजटीय समर्थन सहित ₹75,893 करोड़ के कुल परिव्यय को स्वीकृति दी एवं ₹ 45,025 करोड़ के बजटीय समर्थन सहित ₹64,495 करोड़ की लागत के साथ समापन किया।

भारत सरकार ने सभी गैर विद्युतीकृत घरों को अंतिम छोर तक संबद्धता एवं विद्युत संयोजन प्रदान करने के लिए 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ("सौभाग्य")' भी शुरू की (अक्टूबर 2017)। इस में दूरदराज एवं दुर्गम ग्रामों /बस्तियों में स्थित गैर विद्युतीकृत घरों के लिए सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) आधारित स्टैंडअलोन सिस्टम का प्रावधान सम्मिलित था, जहां ग्रिड विस्तार संभव या लागत प्रभावी नहीं थी। इस योजना को मार्च 2019 तक ₹12,320 करोड़ के बजटीय समर्थन सहित ₹16,320 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ पूरा किया जाना था। ₹5,782 करोड़ के बजटीय समर्थन सहित ₹9,246 करोड़ की लागत के साथ इस योजना का समापन किया गया।

<u>महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष:</u>

डीडीयूजीजेवाई का कार्यान्वयन

लेखापरीक्षा ने 24 राज्यों एवं दो केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आरईसी द्वारा किए गए मूल्यांकन की समीक्षा की एवं देखा कि आरईसी ने 19 राज्यों एवं दो केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मांगे गए ₹44,821.22 करोड़ के सिस्टम सुदृढ़ीकरण घटक लागत को काफी हद तक सीमित कर ₹12,412.55 करोड़ कर दिया। ऐसे प्रतिबंध 14.13 *प्रतिशत* एवं 99.05 *प्रतिशत* के मध्य थे। सात राज्यों द्वारा मांगे गए ₹11,285.78 करोड़ के फीडर

---

[1] *टर्नकीं क्रियान्वयन*

[2] *विभागीय निष्पादन*

पृथककरण की लागत को राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/डीपीआर के 46.27 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* की सीमा में ₹3,967.20 करोड़ तक सीमित कर दिया गया। इसलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-विद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण के बाद विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति के लिए उप-पारेषण एवं वितरण बुनियादी ढांचे एवं फीडर पृथककरण को मजबूत करने एवं बढ़ाने का उद्देश्य आंशिक रूप से प्राप्त हुआ क्योंकि आवंटित बजट परिव्यय सिस्टम सुदृढ़ीकरण एवं फीडर पृथककरण के संबंध में डीडीयूजीजेवाई योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

24 राज्यों एवं दो केंद्र शासित प्रदेशों में से 12 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश में समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक (एटीएंडसी) घाटे का लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सका एवं यह 10 *प्रतिशत* से 26 *प्रतिशत* के मानदंडों के मुकाबले 11.08 से 59.28 *प्रतिशत* के मध्य रहा। इसके परिणामस्वरूप विद्युत मंत्रालय द्वारा डिस्कॉम्स को ₹3,631.62 करोड़ की कम अनुदान राशि जारी की गई।

(पैरा 3.1.5)

मार्च 2022 तक डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अलग किए गए फीडरों की कुल संख्या 7,833 थी, जबकि अन्वीक्षण समिति द्वारा स्वीकृत फीडरों की संख्या 9,019 एवं सीसीईए द्वारा अनुमोदित फीडरों की संख्या 16,500 थी। कुल मिलाकर, सीसीईए द्वारा अनुमोदित संख्या की तुलना में फीडर पृथक्करण के लिए कम कार्यों की स्वीकृति एवं स्वीकृत कुल फीडरों की तुलना में कम संख्या में कार्यों का निष्पादन, दर्शाता है कि फीडर पृथक्करण का कार्य डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत पूरी तरह से आच्छादित नहीं किया गया था।

विद्युत मंत्रालय द्वारा कोई व्यवहार्यता अध्ययन नहीं कराया गया, जिसके कारण डीडीयूजीजेवाई के तहत फीडर पृथक्करण एवं प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यों के विभिन्न घटकों के संबंध में वास्तविक उपलब्धियों में 47.47 *प्रतिशत* से 218.48 *प्रतिशत* तक की भिन्नता आई।

(पैरा 3.1.2)

डीपीआर विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण पर आधारित नहीं थे एवं अंततः उनमें ग्रामों /घरों के विद्युतीकरण, फीडर पृथक्करण एवं परियोजनाओं में प्रणाली सुदृढ़ीकरण के संबंध में मात्रा का कम/अधिक अनुमान पाया गया।

(पैरा 3.1.4)

24 राज्यों एवं दो केंद्र शासित प्रदेशों में 605 परियोजनाओं में से 494 परियोजनाओं (81.65 *प्रतिशत)* में काम देने में देरी हुई। चौदह राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश में 184 परियोजनाओं (30 *प्रतिशत*) के मामले में 12 महीने से अधिक का विलंब हुआ।

27 राज्यों एवं तीन केंद्र शासित प्रदेशों में 605 पूर्ण परियोजनाओं में से 555 परियोजनाओं (*91.74 प्रतिशत*) के पूरा होने में भी विलंब हुआ । 27 राज्यों एवं तीन केन्द्र शासित प्रदेशों में से 19 राज्यों में 263 परियोजनाओं (*47 प्रतिशत*) के मामलों में 24 महीने से अधिक का बड़ा विलंब हुआ।

(पैरा 3.2.2)

डीडीयूजीजेवाई का वित्तीय प्रबंधन

आरईसी ने 27 राज्यों एवं तीन केंद्र शासित प्रदेशों में से 06 राज्यों को पहली किस्त में ₹541.56 करोड़ का अनुदान जारी किया, जो त्रिपक्षीय/द्विपक्षीय समझौते के निष्पादन एवं परियोजना प्रबंधन एजेंसी की नियुक्ति की तारीख से 13 से 360 दिन पहले दिया गया था। इसके अलावा, परियोजनाओं में राज्य सरकार के योगदान का समय पर निवेश

सुनिश्चित किए बिना 06 राज्यों को पात्र अनुदान घटक (तीसरी किश्त) के 60 *प्रतिशत* के रूप में ₹1,603.81 करोड़ का प्रारंभिक भुगतान किया गया।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत, पात्र अनुदान की पहली किश्त परियोजनाओं के अवार्ड के बाद जारी की जानी थी। हालांकि, आरईसी ने 2014-15 के दौरान पूंजी सब्सिडी की पहली किस्त ₹246.28 करोड़ जारी की, जबकि परियोजनाओं का काम डिस्कॉम्स द्वारा अप्रैल 2015 से मई 2017 के दौरान अवार्ड किया गया था।

(पैरा 4.1)

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन एवं अन्वीक्षण तंत्र

डीडीयूजीजेवाई के दिशा-निर्देशों का पालन न करते हुए, 27 राज्यों एवं तीन केंद्र शासित प्रदेशों में से चार राज्यों एवं दो केंद्र शासित प्रदेशों के डिस्कॉम्स ने न तो व्यापक गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) योजना तैयार की एवं न ही इसे अनुबंध समझौते का अभिन्न अंग बनाया। 27 राज्यों एवं तीन केंद्र शासित प्रदेशों में से तीन राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश में अधिकृत विक्रेताओं से सामग्री नहीं खरीदी गई। इसके अलावा, 27 राज्यों एवं तीन केंद्र शासित प्रदेशों में से 10 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश द्वारा क्यूए तंत्र दिशा-निर्देशों का पालन न करते हुए अनुमोदित विक्रेताओं की सूची वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई।

आरईसी स्तर पर पर्यवेक्षण के दौरान 6,13,119 मामलों में से 1,09,715 मामलों में पाई गईं त्रुटियों का समय पर समाधान नहीं किया गया। ग्रामों का निरीक्षण करने में विलंब, आदर्श गुणवत्ता ग्रामों की पहचान न होना तथा गुणवत्ता आश्वासन तंत्र दिशानिर्देशों के अनुपालन में अन्य त्रुटियां भी पाई गईं।

(पैरा 5.1)

योजना के कार्यान्वयन में हितधारकों में से एक के रूप में राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) अनुमोदन हेतु डीपीआर की अनुशंसा करने हेतु जिम्मेदार थी, साथ ही परियोजनाओं की प्रगति की अन्वीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबन्धित मुद्दों के समाधान के लिए भी जिम्मेदार थी । हालांकि, ऐसे उदाहरण देखे गए जहां डीपीआर को राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) की अनुशंसाओं के बिना आरईसी को प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा, कुछ राज्यों में, बहुत कम एसएलएससी बैठकें आयोजित की गईं।

(पैरा 5.2)

दिसंबर 2014 से मार्च 2022 तक की अवधि के दौरान डीडीयूजीजेवाई के लिए आयोजित कुल 25 बैठकों में से 14 बैठकें तीन महीने की अवधि के अंतराल में आयोजित की गईं एवं 11 बैठकें तीन महीने से 12 महीने के अंतराल के साथ आयोजित की गईं । बैठकों के अनियमित अंतराल पर एवं विलंब से आयोजित होने के कारण कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय अन्वीक्षण समिति की राय लिए बिना ही लिए गए, जिन्हें बाद में विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदन दिए जाने के बाद अन्वीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

(पैरा 5.3)

"सौभाग्य" के अंतर्गत विद्युतीकरण

"सौभाग्य" के अंतर्गत कवर किए जाने वाले गैर-विद्युतीकृत घरों की अनुमानित संख्या 300 लाख थी। "सौभाग्य" डैशबोर्ड ने मार्च 2019 तक 262.84 लाख घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य की 100 *प्रतिशत* उपलब्धि का दावा किया। हालाँकि, इन 262.84 लाख घरों में से केवल 151.60 लाख घरों को ही "सौभाग्य" के अंतर्गत विद्युतीकृत किया गया।

सभी 25 राज्यों, जहां इस योजना को लागू किया गया था, ने घोषणा की कि नवंबर 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य 100 *प्रतिशत* घरेलू विद्युतीकरण हासिल कर लिया गया। लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त सूचना एवं डैशबोर्ड पर उपलब्ध सूचना के विश्लेषण से पता चला कि डैशबोर्ड पर दर्शाए गए विद्युतीकरण हेतु घरों का अनुमान, योजना के दिशा-निर्देशों में सम्मिलित 300 लाख घरों से कम होकर 248.48 लाख कर दिया गया। तदनुसार मार्च 2019 तक लक्ष्य के सापेक्ष 100 *प्रतिशत* उपलब्धि घोषित कर दी गई। 31 मार्च 2019 तक सात राज्यों ने 19.10 लाख गैर-विद्युतीकृत घरों की सूचना दी थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा घरों के विद्युतीकरण की वास्तविकता का पता नहीं लगा सकी।

(पैरा 6.1.1. व 6.1.2)

डिस्कॉम्स ने फील्ड सर्वेक्षण किए बिना डीपीआर प्रस्तुत कीं| 24 राज्यों में सभी 36 भागीदार डिस्कॉम्स ने 71 से 418 दिनों के विलम्ब से डीपीआर प्रस्तुत किए, जिसने डीपीआर की समीक्षा व योजना कार्यान्वयन हेतु अन्वीक्षण समिति द्वार घरों की स्वीकृति विलंबित की|

(पैरा 6.2.1)

दो राज्यों में डीडीयूजीजेवाई के साथ-साथ "सौभाग्य" के अंतर्गत 16,728 परिवारों को संयोजन जारी किए गए, जिसके कारण संविदाकार द्वारा एक ही कार्य का दोहरा दावा किया गया। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत आवश्यक अनुदान प्राप्त करने के बावजूद, आरईसी से ₹7.53 करोड़ का अनुदान भी "सौभाग्य" के अंतर्गत दावा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप डिस्कॉम्स को दोहरा भुगतान किया गया।

(पैरा 6.3.1.2)

सात परियोजनाओं में ₹27.59 करोड़ का व्यय ऐसे कार्यों के निष्पादन के कारण दर्ज किया गया, जो डीपीआर में अनुमोदित नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप योजना के अंतर्गत अनुचित कार्यों का निष्पादन हुआ। संविदाकारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के मामले भी लेखापरीक्षा में पाए गए, जैसे कार्य पूरा होने को सुनिश्चित किए बिना भुगतान करना, तथा समान कार्य के लिए ₹2.24 करोड़ का दोहरा भुगतान करना।

(पैरा 6.3.1.3)

सौभाग्य के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन

आरईसी ने अतिरिक्त बजटीय उधार के माध्यम से ₹500 करोड़ जुटाए (मार्च 2020), जिसमें से वह मार्च 2021 तक केवल ₹95.65 करोड़ ही खर्च कर सकी तथा ₹404.35 करोड़ अप्रयुक्त रह गए। आरईसी द्वारा यह ₹500 करोड़ की राशि जुटाई गई, जबकि उसके पास पहले से ही ₹352.32 करोड़ पड़े हुए थे। यह दर्शाता है कि डिस्कॉम्स को संवितरण के लिए निधि की आवश्यकता का आरईसी द्वारा पर्याप्त रूप से आकलन नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त बजटीय उधार के माध्यम से जुटाई गई अप्रयुक्त निधियों पर ब्याज के भुगतान के कारण विद्युत मंत्रालय पर ₹15.97 करोड़ का परिहार्य ब्याज भार पड़ा।

(पैरा 7.1)

अन्य समान योजनाओं में परियोजना लागत के 0.5 *प्रतिशत* की दर से परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) प्रभारों की प्रतिपूर्ति की सीमा के प्रति, अन्वीक्षण समिति ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं असम को परियोजना लागत के क्रमशः 5.43 *प्रतिशत*, 1.70 *प्रतिशत* एवं 1.76 *प्रतिशत* की सीमा तक पीएमए प्रभारों की प्रतिपूर्ति बिना किसी विस्तृत विश्लेषण के करने की अनुमति दी। इसके अलावा, डिस्कॉम्स ने "सौभाग्य" निधि को अस्थायी रूप से अन्य योजनाओं के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन के लिए स्थानांतरित एवं उपयोग किया।

(पैरा 7.2)

चार राज्यों की आठ डिस्कॉम्स ने ₹507.18 करोड़ मूल्य की धनराशि/सामग्री को अस्थायी रूप से अन्य कार्यों/योजनाओं में लगा दिया, जो "सौभाग्य" दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।

(पैरा 7.3)

"सौभाग्य" के अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन एवं अन्वीक्षण

"सौभाग्य" दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, डिस्कॉम्स ने 24 राज्यों की 479 परियोजनाओं में से 21 राज्यों की 224 परियोजनाओं में व्यापक गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) योजना तैयार नहीं की। 24 राज्यों की 479 परियोजनाओं में से सात राज्यों की 80 परियोजनाओं में, व्यापक गुणवत्ता आश्वासन योजना को टर्नकी संविदाकार के साथ अनुबंध समझौते का अभिन्न अंग नहीं बनाया गया था।

गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, 11 राज्यों की सभी 15 डिस्कॉम्स में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों का प्रेषण-पूर्व निरीक्षण नहीं किया गया। 10 राज्यों में सभी 12 डिस्कॉम द्वारा जारी किए गए घरेलू कनेक्शनों का शत-प्रतिशत सत्यापन भी नहीं किया गया। आरईसी ने मई 2019 में 18 राज्यों के लिए एवं अक्टूबर 2019 में अन्य दो राज्यों के लिए आरईसी गुणवत्ता मॉनिटर नियुक्त किया, हालांकि यह योजना मार्च 2019 में पूरी होनी थी। इस योजना के अंतर्गत कुल 86.46 *प्रतिशत* घरों का विद्युतीकरण 11 अक्टूबर 2017 एवं 31 मार्च 2019 के मध्य पूरा किया गया, जबकि 18 राज्यों ने पहले ही संतृप्ति घोषित कर दी थी। इससे योजना के अंतर्गत परिकल्पित समवर्ती गुणवत्ता अन्वीक्षण का उद्देश्य विफल हो गया।

(पैरा 8.1)

निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट के उत्तर में, विद्युत मंत्रालय ने कहा (14 नवंबर 2024) कि विद्युत मंत्रालय/आरईसी द्वारा सीएजी की अनुशंसाओं पर उचित रूप से विचार किया गया है एवं विद्युत मंत्रालय द्वारा अपनाई गई प्रणाली के अनुरूप भविष्य की योजनाओं के कार्यान्वयन में इसे सुनिश्चित किया जाएगा।

BSC/SS/IK/98-25